इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2015

क्र. एफ-23-8-2015-सा-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 के साथ पठित धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-04-2000-सा-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से 12 वर्ष तक के लिए सिवनी बायपास मार्ग पर पथकर उदग्राहत्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधीन रहते हुए प्राधिकृत किया गया था और घोषित किया गया था कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31-19-84-सा-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985, 1 अगस्त 1985 एवं एफ-23-02-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर की देनगी से छूट रहेगी :—

1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल टोल की वसूली इस संशोधित अधिसूचना प्रकाशन तिथी से 259 दिवस तक करेगा. यदि 259 दिवस के पूर्व इस योजना पर किया गया समस्त प्रकार का व्यय जिसमें निर्माण व्यय वित्तीय संस्थाओं से लिए नये ऋण की अदायगी मय ब्याज संधारण व्यय, प्रशासनिक व्यय इत्यादि शामिल होगा, पूर्ण हो जाता है तो गृह निर्माण मण्डल पथकर वसूली बंद कर यह मार्ग म. प्र. लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करेगा.

2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 पर कोई बेरियर नहीं लगाया जाय एवं टोल कनेक्शन बायपास पर किया जाये.

3. भारत सरकार अथवा उनके अधिकृत किसी अन्य ऐजेन्सी अथवा म. प्र. शासन द्वारा यदि रा. रा. क्रमांक-7 अथवा कोई अन्य मार्ग का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया जाता है, जिससे बायपास मार्ग पर यातायात प्रभावित हो सकता है तो ऐसी स्थिति में म. प्र. गृह निर्माण मण्डल या उनके द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंसी की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

विभाग की दिनांक 21 जुलाई 2000 को प्रकाशित अधिसूचना की अवधि 12 वर्ष में समान प्रावधानों एवं शर्तो के अधीन 259 दिवस की वृद्धि की जाती है तद्नुसार पथकर उदग्राहता की अवधि 29 जनवरी 2016 को मध्य रात्रि उपरांत समाप्त होगी.

यह अधिसूचना दिनांक 15 मई 2015 से प्रभावशील होगी.

No. F-23-08-2015-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), the State Government has authorised the Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board, Bhopal to levy tolls on Seoni by pass road up to 12 years at the rates specified in the second schedule of this Department's Notification No. F-23-4-2000-G-XIX dated 21st July 2000 and declares that the vehicles specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX dated 12th June 1985, 1st August 1985 and F-23-2-94-G-XIX dated 9th May 1994 shall be exempted from the payment of the said tolls :—

1. The M. P. Housing Board & Infrastructure Development Board will be further eligible to collect toll for a maximum period of 259 days effective from the date of publication of this notification. In case the expenditure incurred on this project including the cost of construction, repayment of loan to financial institution and including interest, maintenance expenses and administrative expenses etc. are recovered in full before the specified period of 259 days, the Toll Collection shall be stopped and road will be transferred to M. P. Public Works Department by the M. P. Housing Board.

2. No barrier is permissible on N. H. No. 7 and toll collection is admissible only on the Bye pass road.

3. In event of any construction/improvement to N. H. 7 or any other road by the Government of India, or any agency approved by them or the M. P. Government, which may affect the traffic on this by pass road, the State Government shall not entertain any objection/claim on this account from the M. P. Housing & Infrastructure Development Board or any agency appointed by them.

The duration of the notification published by this department on dated 21st July 2000 notification is extended for 259 days after 12 years. Accordingly the levy of toll tax shall be stopped at midnight on 29th January 2016.

This Notification shall come into force with effect from dated 15th May 2015.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्र प्रकाश अग्रवाल, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.